/.

11889
27/9/19

नोटिस न्यायालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा)	:	30.09.19
नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा)	:	09.10.19
अमानत राशि एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि	:	08.11.19
निरीक्षण की तिथी	:	06.11.19
ई–ऑक्शन	:	13.11.19

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, कमरा सख्या 4, नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान)
(क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

फार्म सख्या 13

(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

वसूली प्रमाण पत्र सख्या: 33/2015 **रिपोर्ट तिथी** : 18.11.19

प्रकरण का उनवानः

बैंक ऑफ महाराष्ट्र **बनाम** मैसर्स मुबारिक कन्सट्रक्शन व अन्य

विक्रय की उद्घोषणा

यहकि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र सख्या 33/2015 जो कि मूल आवेदन सख्या 224/2016 में दिनांक 31.05.16 को सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध 26,04,217/– रूपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुसार ब्याज, वाद व्यय एवं खर्चो सहित वसूल किये जाने योग्य है।

तथा यहकि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा सलंग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 28.02.17/– तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों संहित कुल राशि **(वसूल की गई राशि के समायोजन के पश्चात्)** 28,68,303/– रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते है।

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय **मै0 ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेट** के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के जरिये **www.bom.auctiontiger.net** के माध्यम से दिनांक **13.11.19 (बुधवार)** को प्रात 11 बजे से साय 3 बजे तक किया जायेगा।

यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित किये गये हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूचित में विनिर्दिष्ट है।

सम्पत्ति का विक्रय **"जहॉ है जैसी स्थिती में है"** के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनूसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा।

विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भाग नही लिया जावेगा।

25/9/19
Recovery Officer-
Debts Recovery Tribunal,
JAIPUR

Scanned by CamScanner

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूचि में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अध्ययीन होगाः–

(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्य अथवा चूक के लिये कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य 21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख मात्र) रूपये होगा जिससे कम मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जावेगी।

(3) वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जा सकेगा, 10,000/–रूपये व इस राशि के गुणक में होगी, तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।

(4) इच्छुक बोलीदाताओ को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह् व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है।

(5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा बैंक ऑफ महाराष्ट्र – आई0एफ0एस0सी0 **MAHB0000389** में संधारित खाता सख्या **60025826667** में ऑनलाईन जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे है) प्रस्तुत करने होंगे, जोकि सेवा प्रदाता की ई–मेल आई.डी. पर भी भेज सकते है ।

(6) किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को केता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो।

(7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुसूचि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(8) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का केता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उक्त खाता सख्या **60025826667** में जमा करवायी जायेगी तथा विक्रय की सम्पूर्ण राशि केता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा खाता सख्या **60025826667** में नीलामी की तिथि से 15वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिकम किये जाने पर सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा।

(9) ऐसी स्थिति में जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में केता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/–रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का भुगतान करना होगा।

(10) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 06.11.19 को प्रात 10.00 से सांय 4.00 बजे तक सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता महाश्वेता भारद्वाज, बैंक के अधिकृत अधिकारी से मोबाईल सख्या **9730488227** पर सम्पर्क कर सकते है।

(11) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी / सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है।

25/9/19

Recovery Officer-
Debts Recovery Tribunal,
JAIPUR

Scanned by CamScanner

(12) प्रस्तावित बोलीदाता मै0 ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेट संपर्क – मोबाईल नम्बर **0791222594/598/568/587/538** के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते है जो वैब साईड **www.bom.auctiontiger.net** पर उपलब्ध है।

(13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथी 08.11.19 को 3 बजे सांय तक है।

(14) आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता मै0 ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेट के द्वारा दिनांक 13.11.19 को प्रात 11 बजे से साय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सांय 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा।

(15) धरोहर राशि का भुगतान असफल बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति का विवरण :

लॉट की सख्या	सम्पति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहाँ सम्बन्धित व्यक्तिकमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह–मालिक है	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्याकंन किया गया है।	किसी भी प्रकार के भार का विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि समपत्ति के संबंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियों जो कि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रभाव रखता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	निर्णित ऋणी सख्या 3 श्री असलम खान की सम्पति : ऑफिस नम्बर ए–102, प्रथम तल, गणपति प्लाजा, फूलबाग चौक, भीवाडी, तहसील –तिजारा, जिला–अलवर जिसका कुल क्षेत्रफल 69.70 वर्ग मीटर अथवा 750 वर्ग फीट है का आधा भाग	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक :25 सितम्बर 2019 को जारी।

अधिकरण की मोहर

25/9/19
वसूली अधिकारी
ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर
Recovery Officer
Debts Recovery Tribunal,
JAIPUR

वसूली अधिकरण जयपुर
JAIPUR
Debts Recovery Tribunal

Scanned by CamScanner